05

कार्यालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया (गिरिडीह)

ई–मेल :–sdm.bagodar-jhr@gov.in

–:: आदेश ::–

03.09.2024 – अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित।

यह वाद संख्या– 02/2024, भा0ना0सु0सं0 की धारा 166 के तहत् (हमीद मियाँ वगै0 बनाम् समसुद्दीन अंसारी वगै0) के बीच संचालित है।

उक्त वाद में रास्ता को लेकर विवाद है।

प्रथम पक्ष का कहना है कि प्रश्नगत रास्ता उनके पुस्तैनी खतियानी जमीन पर है जिससे होकर वे लोग और गांव के अन्य लोग आते–जाते हैं, और उसी रास्ते को द्वितीय पक्ष के द्वारा काट दिया गया है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। प्रथम पक्ष के द्वारा, शुरू में आवेदन के साथ ही जमीन का दस्तावेज तथा स्थल का फोटो समर्पित किया गया था।

पुनः दिनांक 02.09.2024 को एक लिखित कथन समर्पित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि –

"(1) यह कि प्रथम पक्ष द्वारा आपके न्यायालय में मौजा– कपिलो, थाना नं0– 05, खाता नं0– 64, प्लॉट नं0– 2106, 2115, 2116, 1617, 2120, 2121 एवं 2123 में पूर्वजों द्वारा रास्ता वर्षों से रखे हुए हैं जिसपर रैयत के वंशज एवं वार्ड नं0– 04 के ग्रामीण द्वारा रास्ता के रूप में उपयोग करते चले आ रहे हैं।

(2) यह कि द्वितीय पक्ष उक्त जमीन पर रास्ता को लेकर विवाद उत्पन्न किये थे, जिसका मापी अंचल कार्यालय के पत्रांक 202 दिनांक 28.02.2019 के माध्यम से उभय पक्षों एवं अपने – अपने प्राइवेट अमीन एवं ग्रामीण बुद्धीजीवि व्यक्तियों के उपस्थिति में 11.03.2019 अंचल अमीन के द्वारा सरजमीन पर सर्वे नक्शा के अनुसार मापी कर दिया गया और उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थल गाड़ कर चिन्हित भी कर दी गई थी। मापी के अनुसार प्रथम पक्ष के रास्ता के बगल में द्वितीय पक्ष का जमीन अवस्थित है।"

इसके साथ ही प्रथम पक्ष के द्वारा दिनांक 11.03.2019 को अंचल की ओर से की गई मापी का मापी प्रतिवेदन संलग्न किया गया है।

द्वितीय पक्ष के द्वारा दिनांक 02.09.2024 को एक आवेदन तथा जिला भू–अर्जन कार्यालय गिरिडीह के अमीन के द्वारा उक्त भूमि की, की गई मापी का मापी का प्रतिवेदन भी संलग्न किया गया है। द्वितीय पक्ष का कहना है कि विवादित रास्ता द्वितीय पक्ष की जमीन खाता 31, प्लॉट 2102, 2103, 2104, 2105 पर अवस्थित है।

जिला भू–अर्जन के अमीन के द्वारा दिनांक 05.12.2023 को की गई मापी के प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि –

"(1) प्लॉट नं0– 2102, रकवा– 02 डी0 भूमि वर्त्तमान में खाली है इसे अतिक्रमण नहीं किया गया है एवं आवेदक के दखल–कब्जे में है;

(2) प्लॉट नं0– 2103 के उतरी पश्चिमी भाग पर अफजल मियाँ, पिता– स्व0 भीखन मियाँ के द्वारा ***पी0सी0सी0 पथ का निर्माण करा दिया गया है तथा इसी प्लॉट के खाली भूमि पर कच्चा रास्ता बनाकर आवागमन किया जा रहा है।*** *अर्थात इस प्लॉट के कुल रकवा– 0.412 डी0 भूमि पर पी0सी0सी0 एवं रकवा 0.378 डी0 भूमि रास्ता के रूप में अतिक्रमण किया गया है;*

(3) प्लॉट नं0– 2104 के पश्चिमी भाग जिसकी लम्बाई उ0+द0– 125 फीट एवं पू0+प0– चौडाई 04 फीट 6 इंच अर्थात रकवा– 01.29 डी0 भूमि पर ***इस्लाम मियाँ वगैरह पिता बरीद मियाँ वो मंजूर मियाँ वगैरह पिता स्व0 शेखो मियाँ के द्वारा मिट्टी भरकर रास्ता का निर्माण कर आवागमन के रूप में अतिक्रमण किया गया है।***

03.09.2024

06

(4) प्लॉट नं0– 2105 के पश्चिम भाग जिसकी लंबाई– उ0+द0– 77 फीट एवं पू0+प0– चौड़ाई– 04 फीट अर्थात रकवा 0.71 डी0 भूमि पर झरी मियां पिता नाजीर मियां वो ***बसारत मियां, पिता स्व0 बुधन मियां के द्वारा मिट्टी का कच्चा रास्ता बनाकर आवागमन के रूप में अतिक्रमण किया गया है।*** *प्लॉट नं0– 2104 एवं 2105 के अन्दर छोटा–छोटा सीमेंट का पीलर इनके द्वारा जबरन गाड़ दिया गया है इसी प्लॉट के दक्षिण पूरब भाग के चौ0 4 फीट एवं उ0–द0– 86 फीट अर्थात रकवा– 0.79 डी0 भूमि पर नेजाम मियां पिता सहदुल मियां का कब्जा है।"*

दोनों पक्षों के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि

(A) उक्त विवादित भूमि पर पूर्व से ही रास्ता है,

(B) प्रथम पक्ष के अनुसार वह रास्ता प्रथम पक्ष की भूमि पर है,

(C) जबकि द्वितीय पक्ष के अनुसार वह रास्ता द्वितीय पक्ष की भूमि पर है,

(D) अतः चाहे किसी भी पक्ष की जमीन पर रास्ता हो, उक्त स्थल पर रास्ता है यह निर्विवाद सत्य है,

(E) उक्त रास्ते का उपयोग आम ग्रामीणों के द्वारा किया जाता है,

(F) उक्त रास्ते को द्वितीय पक्ष के द्वारा काट दिया गया है, न्यायालय में भी द्वितीय पक्ष द्वारा स्वीकार किया गया कि उक्त रास्ते को उनके द्वारा काटा गया है।

अतः द्वितीय पक्ष को आदेश दिया जाता है कि 48 घंटे के भीतर उक्त रास्ता को भरकर चलने योग्य बनाना सुनिश्चित करेंगे।

द्वितीय पक्ष के द्वारा 48 घंटे के भीतर उक्त रास्ता को नहीं भरे जाने की स्थिति में, अंचल अधिकारी, बिरनी को यह आदेश दिया जाता है कि थाना प्रभारी बिरनी के साथ मिलकर उक्त प्रश्नगत रास्ते को भरवाकर ग्रामीणों के चलने के योग्य बनाना सुनिश्चित करेंगें तथा इसमें लगी राशि की वसूली द्वितीय पक्ष के लोगों से करेंगे।

कानून व्यवस्था संधारण हेतु एवं आदेश के अनुपालन हेतु आदेश की प्रति अंचल कार्यालय बिरनी तथा थाना बिरनी को भेजें।

इसके साथ ही इस वाद को समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

03.09.2024

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया (गिरिडीह)

03.09.2024

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया (गिरिडीह)

Digitally signed by BIPIN KUMAR DUBEY
Date: 2024.09.04 12:34:39 +05:30
Location: 192.168.250.238